

प्रेषक,

अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
औरैया।

सेवा में,

श्रीमान सेंट्रल प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर(कम्प्यूटर)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया।

पत्रांक-147/डीएलएसए/औरैया

दिनांक- 01.08.2025

विषय- कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , औरैया में मध्यस्थों को नामित किये जाने हेतु जारी विज्ञापन को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

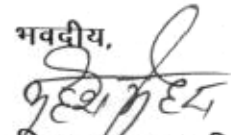
महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 2389/एसएलएसए-83/2025 (संदीप/रि) दिनांकित 30.07.2025 के अनुसार राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु तहसील व मुख्यालय स्तर पर जनपद की श्रेणी के अनुसार 14 अतिरिक्त मध्यस्थों को नामित किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया में मध्यस्थ के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है विज्ञापन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन की प्रति को माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,



अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
औरैया।

Auraiya Judgeship
No.-147/DJ/Dated-01.08.2025
Forwarded
District Judge
AURAIYA

प्रेषक,

महेश कुमार

अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।

विषय : " Drive- Mediation for the Nation के तहत 14 मध्यस्थ नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।"

महोदय,

सम्मान निवेदन है कि उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025 (संदीप/Ri) दिनांकित 30-07-2025 द्वारा राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु तहसील व मुख्यालय स्तर पर जनपद की श्रेणी के अनुसार और अधिक मध्यस्थ नामित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया के अन्तर्गत वर्तमान में 6 मध्यस्थ कार्यरत हैं । उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार श्रेणी "C" में आने वाले जनपदों में अनुमानित 20 मध्यस्थों की संख्या निर्धारित की गयी है । जनपद औरैया को श्रेणी "C" में रखा गया है । उक्त के सन्दर्भ में यह भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मध्यस्थों की चयन प्रक्रिया को 07 दिवस के अन्दर पूर्ण कर उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को सूचित किया जाये ।

उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अनुमानित 14 मध्यस्थों को चयनित किये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद औरैया में कुल 14 मध्यस्थों की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने तथा उक्त के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जिला न्यायालय औरैया के पोर्टल पर तथा जिला बार एसोसिएशन औरैया व बिधूना बार एसोसिएशन इत्यादि में प्रकाशन व प्रचार - प्रसार किये जाने हेतु अनुमोदन करने की कृपा करे ।

सादर ।

दिनांक : 01-08-2025

स्थान : औरैया ।

अनुमोदित

(जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष)

{जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।}

(भवदीय)

(महेश कुमार)

{अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।}

प्रेषक,

महेश कुमार

अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष व सचिव

समस्त बार एसोसिएशन, औरैया ।

विषय : " Drive- Mediation for the Nation के तहत 14 मध्यस्थ नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।"

महोदय,

सम्मानपूर्वक आपको अवगत कराना है कि उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025 (संदीप/Ri) दिनांकित 30-07-2025 द्वारा राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु तहसील व मुख्यालय स्तर पर जनपद की श्रेणी के अनुसार और अधिक मध्यस्थ नामित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया के अन्तर्गत वर्तमान में 6 मध्यस्थ कार्यरत हैं । उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार श्रेणी "C" में आने वाले जनपदों में अनुमानित 20 मध्यस्थों की संख्या निर्धारित की गयी है । जनपद औरैया को श्रेणी "C" में रखा गया है । उक्त के सन्दर्भ में यह भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मध्यस्थों की चयन प्रक्रिया को 07 दिवस के अन्दर पूर्ण कर उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को सूचित किया जाये ।

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अनुमानित 14 मध्यस्थों को चयनित किये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है ।

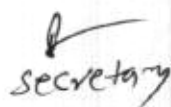
उ० प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अधीन पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं निम्नवत् हैं :-

- (क) ऐसे अधिवक्ता जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो ;
- (ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;
- (ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने- अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिज्ञ क्षेत्र में सुपरिचित हो, से आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं ;

वह व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के पात्र नहीं होंगे -

- (एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्याय-निर्णीत किया गया हो या विकृतचित्त घोषित किया गया हो ;
- (दो) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो ;
- (तीन) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;
- (चार) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो ।

...2


Secretary

मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र औरैया में मध्यस्थ पद के चयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

पद का नाम	पदों की अनुमानित संख्या
मध्यस्थ/मीडिएटर	14

उपरोक्त पद पर चयनित संधिकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति के दिनांक से सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा।

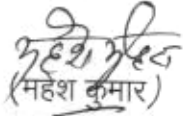
मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्तागण के आवेदन पत्र (संलग्न) उ० प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 में दिये गये अनुसूचि- एक पर दिनांक 05-08-2025 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया में सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

सादर।

(भवदीय)

दिनांक : 01-08-2025

स्थान : औरैया।


(महेश कुमार)

{अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया।}

उक्त सूचना निम्नवत् चस्पा हो :-

1. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय औरैया।
2. नोटिस बोर्ड, समस्त बार एसोसिएशन औरैया।
3. नोटिस बोर्ड, बार एसोसिएशन बिधूना न्यायालय औरैया।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया।

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया ।

अनुसूची- एक

(जिला औरैया ।)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन)

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :
(क) कार्यालय :
(ख) निवास :
4. दूरभाष नम्बर :
(क) कार्यालय :
(ख) निवास :
5. मोबाइल नम्बर :
(क) कार्यालय :
(ख) निवास :
6. ई-मेल आई.डी. :
7. शैक्षणिक अर्हताएं :
8. व्यवसायिक अर्हताएं एवं अनुभव :
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो तो :
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो तो :
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक :
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ?
14. क्या आपको दिवालिया न्याय-निर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है ?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही में दण्डित किया गया है ?

मैं एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं औरैया न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उ० प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता/देती हूँ । यह आश्वासन देता/देती हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा/करूंगी । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का भी वचन देता/देती हूँ । मैं घोषण करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।